



छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR
(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)
Formerly Kanpur University, Kanpur 208024

सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि./प०स्व०वि०पो०पा०/घटक महा०/309/2022

दिनांक : 28/09/2022

वाक-इन-इन्टरव्यू

विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालय पं० विशम्भर दयाल त्रिपाठी राजकीय महाविद्यालय, रुरीगंज, मुरादाबाद, उन्नाव तथा राजकीय महाविद्यालय, लोटना, पुरवा, उन्नाव में निम्नोक्त विषयों के शिक्षण कार्य के लिए अतिथि प्रवक्ताओं की आवश्यकता है।

क्र.सं.	महाविद्यालय	विषयों जिनमें अतिथि प्रवक्ता की सेवा वांछित है।
1.	पं० विशम्भर दयाल त्रिपाठी राजकीय महाविद्यालय, रुरीगंज, मुरादाबाद, उन्नाव	रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, गणित, अंग्रेजी, हिन्दी, इतिहास, प्रबन्ध शास्त्र, कम्प्यूटर एप्लीकेशन
2.	राजकीय महाविद्यालय, लोटना, पुरवा, उन्नाव	रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, अंग्रेजी, हिन्दी, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, सैन्य विज्ञान

अतिथि प्रवक्ता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायक आचार्य पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता या उससे उच्चतम अर्हता धारण करना अनिवार्य है। अतिथि प्रवक्ता के रूप में आबद्ध शिक्षक को रू० 500/- प्रति घन्टा जो किसी भी माह के शिक्षण कार्य के लिए रू० 25,000/- से प्रतिमाह अधिक नहीं हो सकता, मानदेय अनुमन्य होगा।

इंगित विषयों में अतिथि प्रवक्ता के चयन हेतु आयोजित वाक-इन-इन्टरव्यू में प्रतिभाग के लिए इच्छुक अर्ह अभ्यर्थी सम्बन्धित महाविद्यालय के कार्यालय में निम्नोक्त समय-सारिणी,

क्र.सं.	महाविद्यालय	तिथि एवं समय
1.	पं० विशम्भर दयाल त्रिपाठी राजकीय महाविद्यालय, रुरीगंज, मुरादाबाद, उन्नाव	10.10.2022 (सोमवार), 11:00 बजे पूर्वाह्न
2.	राजकीय महाविद्यालय, लोटना, पुरवा, उन्नाव	11.10.2022 (मंगलवार), 11:00 बजे पूर्वाह्न

के अनुसार संलग्न प्रारूप में टंकणित आवेदन (दो प्रतियों में) मय समस्त शैक्षिक तथा शैक्षिक इतर अभिलेख के मूल प्रमाण पत्र एवं इसकी स्वसत्यापित छायाप्रति, तथा दो नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ उपस्थित हो।

वाक-इन-इन्टरव्यू हेतु किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता या किसी अन्य भत्ते की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं है। साथ ही समस्त प्रतिभागी अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिभाग मात्र से उनकी नियुक्ति हेतु अर्हता/पात्रता सिद्ध नहीं होती।

डॉ० (अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव